

SECRET

संख्या : एल. 1229/14-3-606/87

五

श्री. गोपी मोहन श्रीवास्तव,

-विशेष लक्ष्य.

उत्तर प्रदेश शासन ।

ਕੇਸਟ ੨.

नोअल अधिकारी एवं वन संरक्षक.

बल उषयोगं कृत्त

उत्तर प्रदेश लॉन्ग :

बन अनुदान-३

संलग्न दिनांक 18 दिसम्बर 1990

जनवद विधोराकः में चम्बाकत-मच-तामती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
१९०२३ हेरे जन कृमि लोक निर्माण विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण :

मार्ग

मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि श्री राज्यपाला जनपद विधायक हैं।
 चम्पावत-मह-सामग्री मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को 26.28 हे०
 का भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण की निम्न शर्तों पर यह भारत सरकार के पत्रांक-
 8-83/89 दफ्तरी० दिनांक-13/4/90 में निहित शर्तों पर अनुमति प्रदान करते हैं :-

1- यह उक्त भूमि का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा यह उक्त भूमि अथवा इसके किसी भाग की किसी अन्य विधिगत तथ्या अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।

४- लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उनका व्यवहार स्वयंसेवकों के अधीन या उनके सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी कम सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचाये और यदि इस व्यक्ति को द्वारा कम सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है। अथवा पहुँचाई जाती है तो उसके लिये सम्बन्धित प्रभागीय नगराधिकारी द्वारा कार्य निर्धारित प्रतिकर जो अस्तित्व निश्चायक तथा लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देव होगा।

3- उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी । यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो जमाबंदी उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का देता भाग जो लोक निर्माण विभाग के लिये आवश्यक न रहे उस विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को किसी अधिकार के भुगतान के बाबत बाधत हो जायेगी ।

4- क्या विभाग तथा उसके अधिकारियों को किसी भी समय पत्र के आधार पर उनके प्रत्यक्ष प्रभुत्व पर प्रस्ताव करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा ?

2- कथित भूमि हस्तांतरण के बाद ही कार्यालय/कथित जन सेवा केंद्र में प्रमाणित
रहेगी एवं इसके वर्तमान केवलित स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०

136/28-5-187

अतिरिक्त

कार्यालय

6- लोक निर्माण विभाग मार्ग के दोनों ओर कुल
7- क्षतिपूर्ति रोपण का व्यवस्थापित बन संरक्षित
एत. 642/14-3-672/89 दिनांक- 30/11/1989 के अनुसार
पूर्ण कृत किया जाएगा। इस शासनादेश से सम्बन्धित बन
रोपण करना सुनिश्चित करेंगे।

8- उपबोन में तार्ह जाने वाली बन भूमि 56*28 हेक्टे
ओर कुंभारोपण तथा 56*28 हे० बन भूमि एवं 56*28 हे० के दुगुने अन्तः क्षेत्र में भी
कुंभारोपण करवाया जाएगा।

9- इस क्षेत्र में परिवर्तना में कार्य कर रहे मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईडी
की आवश्यकता के लिये बनो को घाति न पहुँचाये इसके लिये लोक निर्माण विभाग
ईडी की तहसी निःशुल्क उपलब्ध करावेगा।

10- बन भूमि पर छेड़ कुंभों का निस्तारण 8000 बन निगम द्वारा करवाया
जावेगा यदि किसी कारणवश लोक निर्माण विभाग को छेड़ कुंभ लोटे जाते है तो उसका
सम्बन्धित बन संरक्षक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर भुगतान लोक निर्माण विभाग
से प्राप्त किया जावेगा।

11- भारत सरकार से पर्यावरण क्षेत्रों में लड़क निर्माण हेतु योजना आयोग द्वारा
गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट में दिए गए मार्ग निर्माणों जिसकी प्रति संलग्न है का पालन
किया जावेगा।

12- यह आदेशा प्रामाणिक समिति की दिनांक-25/10/1990 की पूर्ण बैठक में
प्राप्त तद्वनति के अर्जित जारी किये जा रहे है।

13- यह आदेशा बिस्तर विभाग के आगतकीय संख्या-ए-2-75/इत-77/14:1:
4:74 दिनांक-3-2-77 द्वारा प्रवर्तित तद्वनति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह०/- गोपी मोहन श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या: 1229:1:14-3-90 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव भारत सरकार पर्यावरण एवं जलसंयोजन एवं अन्य पशु विभाग, लो०जी०ओ०
कानपुर, लो०जी० नई दिल्ली।
- 2- महालेखाकार 8000 इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय मार्ग लोक निर्माण विभाग 8000 लखनऊ।
- 5- अधिरासी अभियंता अस्थायी ऊँठ, लो०जी०ओ०, चम्पावत। पिथौरागढ़।
- 6- सचिवालय का लोक निर्माण अनुभाग-2/बिस्तर। व्यव निवर्तण। अनुभाग-8
- 7- प्रभागीय जनाधिकारी, पिथौरागढ़ का प्रभाग पिथौरागढ़।

अतः प्रतिलिपि

आगत से,

ह०/- गोपी मोहन श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संलग्न पत्रिका संख्या